



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112020-223061  
CG-DL-E-13112020-223061

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3574]  
No. 3574]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2020/कार्तिक 21, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2020/KARTIKA 21, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2020

**का.आ. 4068(अ).**—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसी अपेक्षा है कि ताम्र खनन उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 13 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1663(अ), तारीख 27 मई, 2020 द्वारा 27 मई, 2020 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताम्र खनन उद्योग में लगी सेवाओं को 27 नवंबर, 2020 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/11/97-आईआर(पीएल)]  
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2020

**S.O. 4068(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Copper Mining industry, which is covered under item 13 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 27<sup>th</sup> May, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1663(E), dated the 27<sup>th</sup> May, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Copper Mining industry to be a public utility service for a period of six months with effect from the 27 November, 2020.

[F. No. S-11017/11/97 -IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.